



**RAJASTHAN UNIVERSITY OF
VETERINARY AND ANIMAL SCIENCES, BIKANER**

**Prof. A.K. Gahlot
Vice-Chancellor**

प्रथम अपील संख्या 57/2014

डॉ. सुप्रिता सिन्हा.....अपीलार्थी

बनाम

कुलसचिव एवं लोक सूचना अधिकारी, राजस्थान पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर उत्तरदाता

उपस्थिति:-

- (1) अपीलार्थी- डॉ. सुप्रिता सिन्हा- (अनुपस्थित)
- (2) उत्तरदाता-श्री सुनील शर्मा, विधि अधिकारी,
राजस्थान पशुचिकित्सा एवं पशु
विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर।
प्रतिनिधि (उपस्थित)

(i) अपील प्रस्तुती दिनांक: 17.09.2014

(ii) निर्णय दिनांक : 18.10.2014

निर्णय

अपीलार्थी ने लोक सूचना अधिकारी एवं कुलसचिव, राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर को प्रार्थना पत्र दिनांक 04.07.2014 प्रेषित कर सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत सूचनाएं उपलब्ध करवाने का निवेदन किया। लोक सूचना अधिकारी, राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर को दिनांक 21.07.2014 को प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर लोक सूचना अधिकारी द्वारा पत्र क्रमांक 274 दिनांक 11.08.2014 प्रेषित कर अपीलार्थी द्वारा प्रेषित प्रार्थना पत्र दिनांक 04.07.2014 का निस्तारण किया गया। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं लोक सूचना अधिकारी, राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर द्वारा प्रेषित प्रत्युत्तर का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	वांछित सूचना	लोक सूचना अधिकारी, राजस्थान पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर द्वारा प्रेषित प्रत्युत्तर दिनांक 11.08.2014
1	Please provide the score card of each (selected as well as unselected) candidate who were called for the interview for the above mentioned post.	आप द्वारा प्रेषित प्रासंगिक आवेदन पत्र के भाग-II में वर्णित 01 से 03 बिन्दुओं से वांछित सूचना के क्रम में लेख है कि किसी भी परीक्षार्थी द्वारा स्वयं के प्राप्तांकों की सूचना ही प्राप्त की जा सकती है। वांछित सूचना तृतीय पक्ष से संबंधित व्यक्तिगत श्रेणी की सूचना है जो बिना व्यापक जनहित के प्रकट नहीं की जा सकती तथा आप द्वारा कोई जनहित प्रकट नहीं किया है। अतः तृतीय पक्ष से संबंधित व्यक्तिगत
2	Here kindly take a note, to provide the breakup of score of each candidate given by the University after verification of original testimonials.	

3	Please provide the score given to each candidate during interview by the experts.	श्रेणी की सूचना होने के कारण वांछित सूचना उपलब्ध करवायी जानी संभव नहीं है।
---	---	--

लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रेषित प्रत्युत्तर दिनांक 11.08.2014 से असंतुष्ट होकर यह प्रथम अपील प्रस्तुत की गयी। अपीलार्थी द्वारा अपील में अंकित स्थिति अनुसार उक्त पत्र दिनांक 11.08.2014 अपीलार्थी को दिनांक 21.08.2014 को प्राप्त हुआ यद्यपि अपीलार्थी द्वारा इसकी पुष्टि में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। पत्र दिनांक 11.08.2014 को आधार माने जाने पर अपील प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक 09.09.2014 होती है लेकिन अपील दिनांक 17.09.2014 को कुलपति सचिवालय, राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर में प्राप्त हुई जो कि प्रथम अपील प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित मियाद 30 दिवस के पश्चात् प्राप्त हुई है इस कारण मियाद बाहर है लेकिन सूचना का अधिकार अधिनियम लागू किए जाने के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए तथा अपीलार्थी को लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रेषित प्रत्युत्तर प्राप्त होने की दिनांक को ध्यान में रखते हुए अपील सुनवाई हेतु ग्राह्य की जाकर दर्ज रजिस्टर की गयी। अपील में सुनवाई हेतु दिनांक 18.10.2014 निर्धारित की गयी। अपीलार्थी को पत्र क्रमांक 321 दिनांक 29.09.2014 प्रेषित कर सुनवाई दिनांक 18.10.2014 निर्धारित किए जाने की सूचना प्रेषित की गयी तथा सुनवाई दिवस को व्यक्तिशः उपस्थित होकर पक्ष प्रस्तुत करने का विकल्प भी दिया गया। सुनवाई दिवस को अपीलार्थी अनुपस्थित रही तथा लोक सूचना अधिकारी, राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर की ओर से प्रतिनिधि श्री सुनील शर्मा, विधि अधिकारी, राजस्थान पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर उपस्थित हुए जिन्हे सूचना का अधिकार नियम 2012 के नियम 12 (2) के अनुसार उपस्थित होने एवं उत्तरदाता का पक्ष प्रस्तुत करने की अनुमति अनुज्ञात की गयी।

अपीलार्थी द्वारा निम्नांकित आधारों पर अपील प्रस्तुत की गयी :-

1. लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8 (i)(J) का गलत निर्वचन किया गया है। अपने तर्क की पुष्टि में माननीय केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा अपील संख्या 231/IC/(A)/2006 F. No. CIC/MA/A/2006/00622 में पारित निर्णय दिनांक 01.09.2006 रजनीश सिंह चौधरी बनाम यू.पी.एस.सी. का उद्धरण अंकित किया गया।

"The process of recruitment of staff for various types and levels of jobs is closely related to right to work. It has therefore significant bearing on life and liberty of citizens. The conduct of examinations and interviews has to be therefore duly transparent to allow for proper scrutiny of the process of recruitment by the aspirant candidates so as to strengthen their faith in the procedure of selection and to ensure the credibility of the system. Accordingly, every public authority should adhere to the principle of maximum disclosure and provide a reasonable explanation, u/s 4(1)(d) of the Act, for every action taken by them."

2. धारा 8 (1)(j) के प्रावधान अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना के संबंध में लागू नहीं होते।

Contd.

3. राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर द्वारा राजकीय धन (Public Money) उपयोग लिया जाता है इससे यह साबित है कि सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व अपील में व्यापक जनहित निहित है। अपने कथन की पुष्टि में भारत सरकार के कार्मिक विभाग द्वारा पत्र क्रमांक D.O. No. 1/6/2011-IR का उद्धरण प्रस्तुत किया गया :-

"Section 4(1)(b) of RTI act lays down the information which should be disclosed by Public Authority on a Suo motu or proactive basis. The purpose of suo motu disclosure under section 4 is to place large amount of information in public domain on a proactive basis to make the functioning of public authority more transparent and also to reduce the need for filing individual RTI applications."

4. ICAR (ASRB) द्वारा ARS के चयन में अभ्यर्थियों को दिए गए अंक अपनी वेबसाईट पर प्रदर्शित किया गया है। राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर को भी यही प्रक्रिया अपनानी चाहिए।
5. सहायक आचार्य का कार्य Veterinary Under Graduate एवं Post Graduate छात्रों को Veterinary Education देना है जो कि पशुचिकित्सा विज्ञान क्षेत्र में अनुसंधान कार्य करते हैं तथा Public Money का उपयोग करेंगे तथा छात्रों की गुणवत्ता इस तथ्य पर निर्भर करती है कि किस स्तर के शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य किया जा रहा है। शिक्षकों को वेतन Public Money से दिया जाता है अतः वांछित सूचना में व्यापक जनहित निहित है अतः सूचना उपलब्ध करवायी जानी चाहिए।

इसके विपरित लोक सूचना अधिकारी, राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर के प्रतिनिधि द्वारा दौरान बहस मेरे समक्ष निम्नांकित नजीरें प्रस्तुत की गयी :-

- (i) अपील संख्या 2942/2013 अम्बुज कुमार शर्मा बनाम कुलसचिव, राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर में माननीय राज. सूचना आयोग द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.09.2013.
- (ii) माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एस.एल.पी सिविल सं. 27734/12 गिरीश रामचंद्र देशपाण्डे बनाम मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 03.10.2012.
- (iii) सिविल अपील सं. 6362/13 (SLP No. 16870/12) यू.पी.एस.सी बनाम गौरहरि कामिला में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय 06.08.2013
- (iv) इसके अलावा उत्तरदाता की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में तृतीय पक्ष से जुड़ी इन व्यक्तिगत सूचनाओं को उपलब्ध करवाने के संबंध में कोई जनहित दर्शित नहीं किया गया था। अपील में नए तथ्य प्रस्तुत किये गये जो कि सामान्यतः अपील में शामिल नहीं किए जा सकते।

- (v) विश्वविद्यालय स्तर पर की गयी भर्ती हेतु जारी विज्ञप्ति में संबंधित पद के लिए नियमों द्वारा निर्धारित शैक्षिक, प्रशैक्षिक अनुभव संबंधी न्यूनतम योग्यताएं निर्धारित की गयी थी केवल उन्हीं अभ्यर्थीगण को प्रक्रिया में शामिल किया गया था जो न्यूनतम योग्यताएं धारित करते थे। प्रार्थनी का कथन बेबुनियादी है कि ऐसे व्यक्तियों का चयन किया जो योग्य नहीं थे। केवल Public Money उपयोग किए जाने के आधार पर व्यापक जनहित नहीं माना जा सकता। अपीलार्थी के पास कोई ऐसा तथ्य है कि Public Money का दुरुपयोग हुआ है तो सक्षम स्तर पर परिवाद/अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। आर.टी.आई. अधिनियम के अन्तर्गत Public Money के दुरुपयोग की अपील करना उचित माध्यम (Forum) नहीं है।

मैंने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील, लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रेषित प्रत्युत्तर का अवलोकन किया तथा बहस के दौरान प्रस्तुत तर्कों एवं नजीरों पर मनन किया। हस्तगत अपील में निम्न बिन्दु पर विनिश्चय किया जाना है :

- (A) क्या अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना तृतीय पक्षकार से संबंधित व्यक्तिगत श्रेणी की सूचना है ?
(B) क्या अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना के संबंध में व्यापक एवं सद्भाविक जनहित दर्शित किया गया है ?

- (A) इस संबंध में मैंने अपील में अपीलार्थी द्वारा उद्धृत किए गए केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा पारित निर्णय के अंश का अवलोकन किया जिस अनुसार भर्ती प्रक्रिया अधिक पारदर्शी होनी चाहिए तथा परिपत्र दिनांक 01.06.2011 अनुसार लोक प्राधिकारी द्वारा धारा 4(1)(b) अनुसार स्वप्रेरणा से सूचनाएं प्रदर्शित किए जाने से संबंधित है। इसके विपरीत लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नजीरों में सिविल अपील सं. 6362/13 (SLP No. 16870/12 UPSC V/s Gourhari Kamila) में पारित निर्णय दिनांक 06.08.2013 से उत्तरदाता के सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के निस्तारण में UPSC द्वारा प्रेषित प्रत्युत्तर को विधि सम्मत् माना जिसमें अभ्यर्थियों के अनुभव प्रमाण पत्र की प्रति तथा M.Sc., B.Sc. की डिग्रीयों की प्रतियां सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8(1)(e) तथा 8(1)(j) के प्रावधानों अनुसार उपलब्ध नहीं करवायी गयी। अपील संख्या 2942/2013 अम्बुज कुमार शर्मा बनाम कुलसचिव, राजस्थान पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर के प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 11.09.2013 से माननीय राजस्थान राज्य सूचना आयोग द्वारा यह अवधारित किया गया कि सूचना के इच्छुक नागरिक किसी तृतीय पक्षकार से संबंधित न तो उत्तरपुस्तिका देख सकता है न ही प्रति प्राप्त करने का हक रखता है। एस.एल.पी. सिविल संख्या 27734/2012 गिरीश रामचन्द्र देशपाण्डे बनाम मुख्य सूचना आयुक्त के प्रकरण में पारित निर्णय से माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि बिना व्यापक एवं सद्भाविक जनहित के निजी सूचनाएं प्रकट नहीं की जा सकती।

इस संबंध में अपीलार्थी की अपील के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी Veterinary Pharmacology and Toxicology विषय में सहायक आचार्य पद

के लिए साक्षात्कार हेतु दिनांक 26.02.2014 को उपस्थित हुई थी अर्थात् अपीलार्थी भी भर्ती प्रक्रिया में शामिल थी। लेकिन अपीलार्थी द्वारा Veterinary Pharmacology and Toxicology विषय के लिए साक्षात्कार हेतु बुलाए गए सभी छात्रों के स्कोर कार्ड, मूल दस्तावेजों के सत्यापन उपरान्त विश्वविद्यालय द्वारा दिये गये ब्रेकअप स्कोर तथा विशेषज्ञों द्वारा साक्षात्कार में दिए गए अंको के संबंध में सूचना चाही है। अपीलार्थी ने स्वयं के साथ अन्य अभ्यर्थीगण के संबंध में सूचना चाही है। चाहे परीक्षा प्रणाली हो अथवा नियुक्ति हेतु सीधी भर्ती प्रक्रिया, संबंधित अभ्यर्थी के प्राप्तांक उसकी व्यक्तिगत योग्यता, दक्षता एवं अर्जित ज्ञान का परिणाम होते हैं। भर्ती प्रक्रिया में Score Card अभ्यर्थी के प्राप्तांक दर्शाता है एवं अंकतालिका के समकक्ष होने के कारण मेरे मत में लोक सूचना अधिकारी का यह मत उचित है कि अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना तृतीय पक्ष से संबंधित व्यक्तिगत श्रेणी की सूचना है।

अपीलार्थी द्वारा अपील में डॉ. संस्कार, शासन सचिव, कार्मिक, प्रशिक्षण, लोक शिकायत विभाग, भारत सरकार के पत्र दिनांक 01.06.2011 का उल्लेख किया गया है। मेरे मत में पत्र दिनांक 01.06.2011 से जारी निर्देश हस्तगत प्रकरण में लागू नहीं होते हैं क्योंकि धारा 4 (1)(b) में स्पष्टतः प्रावधान किया गया है कि कौन-कौनसी सूचनाएं प्रकाशित की जायेगी लेकिन यह उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी द्वारा वांछित की गई सूचनाएं धारा 4(1)(b) की अन्तर्गत प्रकाशित किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। धारा 4 (1)(b) का प्रावधान किए जाने की यह मंशा कतई नहीं है कि किसी विभाग द्वारा की जा रही भर्ती प्रक्रिया में अभ्यर्थीगण के प्राप्तांक विशेषज्ञों के नाम, अभ्यर्थियों की व्यक्तिगत सूचना का स्वप्रेरणा से प्रकाशन किया जाए। राजस्थान लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विभिन्न प्रकार की भर्तियां की जाती हैं लेकिन अभ्यर्थीगण प्राप्ताकों इत्यादि का सार्वजनिक प्रदर्शन/प्रकाशन नहीं किया जाता एवं व्यावहारिक रूप से भी ऐसा संभव नहीं है क्योंकि यह संबंधित अभ्यर्थी की निजता का अतिक्रमण होगा। लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में लोक प्राधिकारी की कार्य पद्धति में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए तथा लोक अधिकारियों के नियंत्रणाधीन सूचना तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम लागू किया गया है। सूचना का अधिकार अधिनियम का मुख्य उद्देश्य पारदर्शिता लाना अवश्य है लेकिन सूचना का अधिकार आत्यान्तिक (Absolute) नहीं है। धारा 8 में वर्णित अपवाद इस अधिकार को सीमित बनाते हैं। इस संबंध में राजस्थान सूचना आयोग द्वारा अपील संख्या 2942/13 में पारित निर्णय एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपील संख्या 6362/2013 में पारित नवीनतम निर्णय जो कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत नजीरों के बाद पारित किए गए हस्तगत अपील एवं बिन्दु (A) के संबंध में पूर्णतः लागू होते हैं। अतः बिन्दु (A) अपीलार्थी के विरुद्ध निर्णीत किया जाता है।

- (B) जहाँ तक जनहित का संबंध है "जनहित" शब्द की कोई शाब्दिक परिभाषा किसी अधिनियम में वर्णित नहीं की गयी है और न ही जनहित शब्द की शाब्दिक परिभाषा दी जानी संभव है क्योंकि जनहित शब्द तथ्य परक है। प्रत्येक प्रकरण के तथ्यों के

